रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 34149-151

दिनांक: 6/12/2013

प्रतिष्ठार्थ,

मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय-सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट को चुनाव कार्य हेतु दिये गए मानदेय में anomalies के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 1 दिसम्बर 2013 को राजस्थान में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में सेक्टर अधिकारियों को 205/- रु. प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता/मानदेय दिया गया। कुछ स्थानों पर 1000/- रु. lumpsum की दर से भी भुगतान किया गया। इस प्रकार हुए भुगतान के कारण सेक्टर अधिकारी/मजिस्ट्रेट के रूप में चुनाव कार्य करने वाले अधिकारियों के मध्य असंतोष उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में कतिपय तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ -

(1) राजस्थान सरकार के निर्वाचन विभाग ने आदेश सं. F-3 (229)III/A/ELEC/Spl. TA/13-14/ 5523 jaipur दिनांक 9-10-2013 के द्वारा विधानसभा चुनाव 2013 में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों/ अधिकारियों को देय TA एवं DA की दरों के संबंध में निर्देश जारी किए। इस आदेश के अनुसार चुनाव ड्यूटी करने पर पीठासीन अधिकारी को न्यूनतम 300/- रु. तथा मतदान अधिकारी, पुलिस कार्मिक, होमगार्ड, फोरेस्ट गार्ड, एन.सी.सी. केडेट आदि को न्यूनतम 210/- रु. दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है, जबकि सेक्टर अधिकारी/ जोनल मजिस्ट्रेट को 1000/- रु. lumpsum की दर से अथवा उनके parent department के द्वारा admissible दैनिक भत्ते की दर से, जो भी beneficial हो देने के प्रावधान किए गए हैं।

(2) इन प्रावधानों के फलस्वरूप सेक्टर अधिकारियों को तृतीय श्रेणी/class C/ कनिष्ठ ग्रेड़ के कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम दैनिक भत्ते/मानदेय का भुगतान किया गया। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के संज्ञान में इस anomaly को लाया गया तो उन्होंने चुनाव आयोग एवं राजस्थान सरकार के आदेश का हवाला देते हुए इस संबंध में कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

(3) इस तरह की anamolies को ध्यान में लाए जाने पर पूर्व में इस संबंध में चुनाव आयोग ने पत्र क्रमांक 218/4/98/PLN-IV दिनांक 23-6-1998 द्वारा राज्यों के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए थे कि -

".....the payment of honorarium should be made equitable to all employees directly connected with elections in the states and union territories."

(4) सेक्टर अधिकारी/मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में अधिकारियों की सेवाएं दो महीने (चुनाव अधिघोषणा की दिनांक से) से अधिक समय तक ली गई। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न

रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/

दिनांक: .....

करवाने एवं अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर अधिकारियों द्वारा इस अवधि में दिन रात अनथक कार्य किया गया। जिनमें **vulnerability mapping, day and night patrolling, door to door campaigning and meeting with public, looking after infrastructural facilities of polling booths, EVM demonstrations, maintaining the purity of poll process, checking all aspects of polling** जैसे कार्यों सहित जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग अधिकारी के सभी लिखित/मौखिक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना शामिल था। इस हेतु लम्बे समय अपने निवास स्थान एवं परिवार से दूर रह कर तथा कई उदाहरणों में सुविधाहीन खटारा वाहनों में कच्चे पक्के रास्तों पर यात्रा कर मुश्किल ड्यूटी को हमारे साथियों द्वारा बखूबी निभाया गया।

(5) क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सम्पन्न करवाने में चुनाव आयोग एवं उसके अधिकारियों के साथ सेक्टर अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार किया जा सकता है? इस जिम्मेदारी का प्रतिफल क्या यह है कि - दो महीनों की गहन ड्यूटी के लिए सेक्टर अधिकारियों को **lumpsum** 1000/- रु. या तृतीय श्रेणी/**class C** कर्मचारी से भी कम दैनिक भत्ता दिया जाए? क्या आप इसे ठीक कहेंगे?

(6) कुछ जगह तर्क दिया गया कि ये 1000/- रु. **honorarium** है, **regular DA** नहीं। क्या सचमुच 1000/- सेक्टर अधिकारियों की इन सेवाओं को **honor** करने के लिए पर्याप्त है? पीठासीन अधिकारी/ मतदान अधिकारी एवं अन्य कार्मिकों के लिए राज्य सरकार के **TA/DA** नियमों से ज्यादा न्यूनतम दैनिक भत्ता चुनाव आयोग द्वारा तय किया जा सकता है तो सेक्टर अधिकारी के लिए क्यों नहीं?

आशा है कि आप सेक्टर अधिकारियों की इस पीड़ा को समझेंगे तथा अभी सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव एवं आगामी लोकसभा चुनाव हेतु एक माह के वेतन के बराबर **lumpsum** मानदेय अथवा पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी की तुलना में सेक्टर अधिकारी के पद की गरिमा के अनुसार न्यूनतम दैनिक भत्ता देने के आदेश प्रसारित करवा कर सेक्टर अधिकारियों के कार्य को **honor** करेंगे।

सधन्यवाद

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]